एम.ए.सी.पी. संख्या १६२/२०१७,
१. श्रीमती राधाबाई पत्नी स्व. राजपाल लोधी आयु लगभग २४ वर्ष
२. कु. डोली लोधी पुत्री स्व. राजपाल लोधी आयु लगभग ७ वर्ष
३. अभिषेख लोधी पुत्र स्व. राजपाल लोधी आयु लगभग ५ वर्ष
४. दशरथ लोधी पुत्र जालिम सिंह लोधी उम्र करीब ६१ वर्ष
५. श्रीमती धोकाबाई पत्नी दशरथ सिंह लोधी उम्र करीब ५९ वर्ष
(याची सं. २ व ३ जरिए संरक्षक माँ श्रीमती राधाबाई)
समस्त निवासीगण ग्राम खिरिया मजरा आजादपुरा पोस्ट विजरावन थाना बामोर कलां जिला शिवपुर, म.प्र. हाल निवासी बबीना कैट जिला झाँसी

------याची

प्रति

१. मुकेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद अहिरवार निवासी ३०० सुरेश नगर हनुमान पार्क ठाडीपुर, ग्वालियर म.प्र. हाल निवासी भब्या गार्डन के पास डेली थाना रक्सा जिला झाँसी

.......मालिक ट्रक सं. एम.पी. ०७ एच बी ३८०२

२. सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी ग्राम बरल थाना चिरगाँव जिला झाँसी

.......चालक ट्रक सं. एम.पी. ०७ एच बी ३८०२

३. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए शाखा प्रबन्धक इलाईट टाकीज के पीछे, झाँसी जिला झाँसी

......बीमाकर्ता वाहन ट्रक सं. एम.पी. ०७ एच बी ३८०२

४. सुरेन्द्र सिंह बुन्देला तनय श्री मोहन सिंह निवासी ग्राम वांकलपुर पोस्ट नया खेड़ा तहसील चन्देरी जिला गुना म.प्र.

......मालिक मोटर साईकिल नं. एम.पी. ०८ एम डी ६३०४

------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- पूजा कुमारी
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री एस.सी. गुप्ता
विपक्षी सं. ४ के अधिवक्ता- श्री संकेत मियांदाद

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ५८बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी कि विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ५८बी सुलहनामा पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। ५८बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ७,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ५८बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ५८बी में दर्शित कुल ₹ ७,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ५८बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ५८बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ५८बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ ७,००,००० (सात लाख) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण सं. १ लगायत ५ मृतक के क्रमशः पत्नी, पुत्री, पुत्र व पिता व माता हैं तथा याची सं. २ व ३ कु. डोली व अभिषेख अवयस्क हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २, ३, ४ व ५ क्रमशः ३०, २५, २५,१०, १० प्रतिशत भाग धनराशि प्राप्त करेंगे। याची सं. २ व ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिए किसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 14:34:34 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में जमा किया जाएगा तथा याचिया सं. १ श्रीमती राधा बाई, याची सं. ४ दशरथ सिंह व याचिया सं.५ श्रीमती धोकाबाई को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि उक्त प्रत्येक याचीगण आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।